भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

विधि कार्य विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2978

जिसका उत्तर गुरुवार, 19 मार्च, 2020 को दिया जाना है

विधि महाविद्यालयों की अनियमित वृद्धि

2978. श्रीमती अम्बिका सोनी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में समुचित अवसंरचना अथवा संकाय के बिना बड़ी संख्या में विधि् महाविद्यालय चल रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) देश भर में कानूनी शिक्षा के गिरते स्तरों में सुधार लाने और साथ ही साथ विधि महाविद्यालयों की अनियमित वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या सुधारात्मक कदम उठाए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) और (ख) : विधिक शिक्षा को बढ़ावा देने और ऐसी शिक्षा के मानक को अधिकथित करने का कार्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन भारतीय विधिज्ञ परिषद का है। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने सूचित किया है कि वह देश में विधि महाविद्यालयों की अनियंत्रित वृद्धि के बारे में बहुत चिंतित है। भारतीय विधिज्ञ परिषद ने विधि महाविद्यालयों की अनियंत्रित वृद्धि के मुद्दे को उठाता रहा है और औचक निरीक्षण करने तथा भारतीय विधिज्ञ परिषद के विधिक शिक्षा नियमों द्वारा विहित मानकों के पालन के बिना चल रहे ऐसे विधि

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों/केंद्रों पर कठोर कार्यवाही करने के लिए स्कीमें बनाया है।

जब राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, भारतीय विधिज्ञ परिषद की केवल तीसरे प्रक्रम पर ही भूमिका आरम्भ होती है और तत्पश्चात सम्बंधित विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता अनुदत्त की जाती है और अवसंरचना तैयार की जाती है; तथा प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाती है और अनेक मामलों में पहले से ही छात्रों को प्रवेश दिया गया होता है, अननुमोदन की सिफारिश करने में व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं क्योंकि पहले से ही प्रवेश दे दिए गए विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न इस समस्या का एक दूसरा आयाम प्रस्तुत करता है।

(ग) भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा विधिक शिक्षा के गिरते मानक को सुधारने के साथ-साथ पूरे देश के विधि महाविद्यालयों की अनियमित वृद्धि की जांच करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं :-

(i) पाठ्यक्रम और अन्य मानदंड देश के विश्वविद्यालयों के साथ परामर्श से केवल विधिज्ञ परिषद् द्वारा अधिकथित किए जाते हैं ।

(ii) भारतीय विधिज्ञ परिषद मानकों को अधिकथित करता है, पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, कक्षाओं में आज्ञापक अध्यापनों के लिए कम से कम 70% उपस्थिति का उपबंध करता है, किन्तु इन्हें लागू करने की तत्कालीन जिम्मेदारी विश्व विद्यालयों के पास होती है।

(iii) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने अगले वर्ष से ऐसे सभी महाविद्यालयों को बंद करने का निर्णय किया है और ऐसे संस्थान यदि वे शैक्षिक कर्मचारी बृंद की रिक्तियों को नहीं भरते हैं, तो उन्हें अगले शैक्षणिक सत्र से छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति नहीं करेगा।

(iv) यदि आकस्मिक दौरे के कारण, कोई संस्थान समुचित अवसंरचना, संकाय की कमी होना, विद्यार्थियों के लिए कोई नियमित कक्षा का न होना पाया जाता है, तब ऐसे संस्थान के संबद्धता के अनुमोदन को अगले शैक्षणिक सत्र से वापस ले लिया जाएगा । कुलपतियों, उपकुलपतियों और डीन से

इस गंभीर मामले को देखने तथा उनकी संबंद्धता को रद्द करने के लिए समुचित उपाय करने के लिए अनुरोध किया है ।

(v) भारतीय विधिज्ञ परिषद् ने यह सुनिश्चित करने के लिए विधिक शिक्षा के सभी केंद्रों से यह पूछने के लिए कि विद्यार्थियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जानी चाहिए, एक परिपत्र जारी किया है ।

(vi) भारतीय विधिज्ञ परिषद् का विधिक शिक्षा नियम विभिन्न उच्च न्यायालयों के माननीय आसीन न्यायाधीश, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों सहित विधि प्राध्यापकों तथा विभिन्न विधिक प्रकाण्ड विद्वानों की सहायता और सलाह के साथ संशोधित किए जाने की प्रक्रिया में है तथा इसे उनकी राय और अतिरिक्त सुझावों के लिए सभी विश्वविद्यालयों तथा राज्य विधिक परिषदों के मध्य प्रचालन के लिए भेजा गया है ।

(vii) भारतीय विधिज्ञ परिषद ने संकल्प सं. 114/2015, तारीख 06.06.2015 द्वारा सभी राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों को आगामी तीन वर्षों के लिए एनओसी/सम्बद्धता देने से निर्बन्धित करने का अनुरोध किया है, जिससे देश में नए विधि महाविद्यालयों के निर्माण में कोई व्यक्ति धन का निवेश न कर सके।

(viii) नये पाठ्यक्रम या अतिरिक्त अनुभाग खोलने के लिए विधिक शिक्षा का कोई नया केंद्र या विधिक शिक्षा का कोई विद्यमान केंद्र (विधि महाविद्यालय और विधि विश्व-विद्यालय) से संबंधता/मान्यता का अनुमोदन प्रदान करने के लिए तारीख 11 अगस्त, 2019 को भारतीय विधिज्ञ परिषद ने, परिषद संकल्प द्वारा एक ऋण स्थगन अधिरोपित किया गया।

(ix) भारतीय विधिज्ञ परिषद का परिपत्र, तारीख 05.02.2020 को विशेष रूप से कथित करता है और स्पष्ट करता है कि जब तक विधिक शिक्षा नियम 2008, जो आज की तारीख तक विद्यमान है, का विधिक शिक्षा के केंद्रों द्वारा पालन नहीं किया जाता है, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 से प्रभावी नहीं किया जाएगा और जब तक ऐसे अनुपालन के साक्ष्य सहित कोई अनुपालन शपथपत्र, भारतीय विधिज्ञ परिषद का समाधान करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है, शैक्षणिक

वर्ष 2020-2021 से लागू चल रहे/संचालित विधि पाठ्यक्रमों को अनुमोदित नहीं किया जाएगा।

(x) भारतीय विधिज्ञ परिषद, विधिक शिक्षा के मानकों को बढ़ाने के लिए विश्व विद्ययालयों/राज्य सरकार के उच्चतर न्यायिक विभागों/संस्थाओं को समय-समय पर परिपत्र जारी करता है।

****